भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या-182 सोमवार, 19 जुलाई, 2021/28 आषाढ़, 1943 (शक)

बेरोजगार व्यक्तियों को सहायता

+182. श्री उत्तम कुमार रेड्डीः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) दिसंबर 2019 से वर्तमान तिथि तक देश में मासिक बेरोजगारी दर का ब्यौरा क्या है;
- (ख) आवंटित निधि और पात्र लाभार्थियों की संख्या सहित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार और अन्य रूपों में सहायता प्रदान करने वाली विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ग) इन योजनाओं के तहत सरकारी सहायता मांगने वालों और प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और
- (घ) देश में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए मंत्रालय द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ): रोजगार एवं बेरोजगारी पर वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं। पीएलएफएस के परिणामों के अनुसार, देश में 2018-19 के दौरान 15 वर्ष एवं उससे अधिक के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा तक बेरोजगारी की दर 5.8% थी।

सरकार आत्मनिर्भर वित्तीय पैकेज के रूप में सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां तथा रोजगार अवसर सुजित करना शामिल है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) समाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार दो वर्ष की अवधि हेतु ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की रोजगार संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान प्रदान कर रही है। 30 जून, 2021 को 82,251 प्रतिष्ठानों के माध्यम से 22 लाख से अधिक लाभार्थियों को शामिल करते हुए लगभग कुल 950 करोड़ रु. का लाभ प्रदान किया गया है।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% अंशदान और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान किया है, जो कि 100 कर्मचारियों तक रखने वाले प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% है। पीएमजीकेवाई योजना के तहत, 38.82 लाख पात्र कर्मचारियों के ईपीएफ खातों में 2567.66 करोड़ रु. डाले गए थे एवं कोविड महामारी पश्च के दौरान ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों में रोजगार प्रदान कराने में सहायता मिली।

सरकार देश में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ नए रोजगार का सृजन करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2016 से प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के तहत, भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से नए कर्मचारियों हेतु कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) एवं कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) दोनों के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान अर्थात् 12% (समय-समय पर यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। प्रतिष्ठान के माध्यम से लाभार्थी के पंजीकरण की समापन तिथि 31 मार्च, 2019 थी। 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थियों को इस योजना के तहत पंजीकरण की तिथि से तीन वर्षों तक

लगातार लाभ प्राप्त होता रहेगा। 1.53 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 1.21 करोड़ लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

भारत सरकार ने 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को कोविड महामारी पश्च काल में फिर से अपना व्यापार शुरू करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाने के लिए प्रधान मंत्री स्व-निधि योजना आरंभ की है।

रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता रही है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अन्य योजनाओं जैसे प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के माध्यम से विभिन्न कदम उठाए हैं।
